10

in the Chamber... (Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: You both, both sides, can sit together and decide (Interruptions)

Now, we shall take up Questions. Question No. 321.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Loans sanctioned to the unemployed Youth in Bihar under Self Employment Scheme

*321. SHRI DIGVIJAY SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleaded to state:

- (a) the number of un-employed graduates /undergraduates who have been granted loans through banks under Self-Employment Scheme in Bihar during the last five years, district-wise:
- (b) whether there is any proposal to reduce the rate of interest on loans given under that Scheme; and
 - (c) if so, what are the derails thereof?

THE MINISTER OF FINANCE (PROF. MADHU DANDAVATE): (a) to (b). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

Reserve Bank of India has reported that under the Scheme for providing Self Employment to Education Unemployed Youth (SEEUY), loans have been sanctioned in 95,451 cases in Bihar during the last 5 years from !984-85 to 1988-89. The data reporting system under SEEUY

does not generate the information district-wise

Loans under SEEUY Scheme attract concessional rate of interest at 10% per annum in backward areas and 12% per annum in other areas. Moreover, subsidy at the rate of 25% of assistance is provided by the Central Government. Any further concession in the form of reduction in the rate of interest has not been considered desirable by Reserve Bank of India having regard to the cost of funds for the banks and their profitability.

श्री दिश्विजय सिंह: मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना काहूंगा कि बिहार में जो पैसा आपने अब तक भेजा है, उस पैसे का और राज्यों के मुकाबले कितना पैसा आप दे चुके हैं। मेरे पास जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से, आबादी के हिसाब से सबसे कम पैसा बिहार राज्य को भेजा गया है इस स्कीम में।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहंगा वह है कजें की माफी के बारे में। अनएम्प्लायड यूथ का जो कर्जा माफी का सकाल भा, उसके बारे में मैं पृष्ठना चाहुंगा कि जो पैसा अन्य इस स्कीम के तहत देते हैं उस पैसे के इस्तेमाल के लिए सरकार के पदाधिकारियों द्वारा एक स्कीम तैयार की जाती है और उस स्कीम के हिसाब से ही वह पैसा खर्च होता है। किसी भी युथ को, किसी भी अनएम्प्लब्ड को, जिसको आप पैसा दे रहे हैं, अभी तक कोई मुनापन्न उनके जीवन में देखने को नहीं मिला है। ऐसी हालत में जब बिहार में बिजली भी नहीं है, आप खद तय करते हैं कि किस जगह से सामान खरीदना है। सब-स्टेंडर्ड सामान होता है उसके बावजूद भी अगर आप कर्जा माफ नहीं करेंगे, एक तरफ तो आप बड़े अधोगपरियों का कर्जा माफ कर सकते हैं. लेकिन 35000 वा 25000 जो आप अनएम्प्लायड युथ को देते हैं, अगर वह कर्जा माफ नहीं करेंगे तो यह सरकार की नीति कैसी नीति है यह मै जानन आहंगा?

क्रे॰ मधु दण्डाक्तेः सभापति जी, जहां तक नौजवानीं को कर्ज़ा देने का सकाल है उसके सिलिसिले में जहां भी यह मांग की जाती है, वहां उसके आधार पर जांच की जाती है। उसके लिए एक कमेटी है। माननीय सदस्य ने सिर्फ बिकार के सिलिसिले में सकाल पूछा था इसलिए जो आंकड़े मैंने प्रस्तुत किए हैं वह सिर्फ बिहार के बारे में हैं लेकिन माननीय सदस्य को मैं यह आखासन देना चाहता हूं कि सारे हिन्दुस्तान के सारे राज्यों के जो आंकड़े हैं उनका एक ब्यौरा तैयार करके मैं सभापटल पर जरूर रखुंगा। जहां तक कर्ज़े का सवाल है, मैं आपको यह बताना चाहता हं कि किसी राज्य में बैंकों के पास कर्ज़ा लेने के लिए लोग आते हैं, बेरोजगार, शिक्षित यूवक आते हैं तो उस कर्ज़ें के बैनिफिशियरीज कौन लोग होंगे, उसका लाभ किसे मिल सकता है, इसके संबंध में विचार करने के लिए एक टास्क-फोर्स है जिसमें जनरल मैनेजर डी॰आई॰सी॰, रिप्रैजेंटेटिव फॉम थी मेजर बैक्स ऑफ एरिया, डिस्टिक्ट इम्प्लायमेंट आफिसर, रिप्रैजेंटेटिच ऑफ कंसर्च्ड स्माल सर्विसेज़ इन्स्टीट्यूट और मैनेजर क्रैडिट ऑफ डी॰आई॰सी॰ शामिल हैं और उनके विचारों के आधार पर ये कज़ें तय किए जाते हैं और हमने ये कर्जे देते समय यह भी सुविधा रखी है कि अगर पिछड़े हए हलके से लोग आते हैं तो उनके लिए 10 प्रतिशत का रेट रखा गया है और अन्य एरियाज़ के लिए 12 परसेंट का रेट रखा गया है। साथ ही साथ कर्ज़ा लेने वालों को कुछ फायदा मिले इसलिए केन्द्र की तरफ से उनको जितना लोन दिया गया है उस पर 25 प्रतिशत सक्सिडी भी दी जाती है।

अगर माननीय सदस्य की बिहार के बारे में कोई कम्प्लेंट हो तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप अपनी शिकायत पेश करें। उसके संबंध में जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी वह की जाएगी।

श्री सभापतिः वह कह रहे हैं कर्ज़ा माफ करने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री दिम्बिजय सिंहः मैं कर्ज़ा माफी के बारे में प्रकृता चाहता हं।

प्रो॰ मधु दण्डवते: दूसरा जो सवाल है कर्ज़ा माफी का सवाल है और इस सवाल का कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि 15000 रुपए, 25000 रुपए और 35000 रुपए, तीन कैटेगरीज़ हैं और जहां तक कर्ज़ा माफ करने का सवाल है तो 10000 रुपए से नीचे जिन्होंने कर्ज़े लिए हैं वह बिल्कुल अलहदा सवाल है और मैं माननीय सदस्य को आधारन देता हूं कि कर्ज़ा माफी के बारे में हमने जो जुन्छ प्रावधान बनाया है उसके मुस्सिक जरूर कर्ज़ों माफ किए जाएंगे।

श्री सभापतिः हो गया, अब दूसरा सप्लीमेंटरी पृष्टिए।

श्री दिश्विजय सिंह: मैं यह पूछ रहा था आपसे कि कर्ज़ पर जो सूद लगेगा कम से कम उस सूद को यानी जो लोन का इंट्रस्ट है उसकी माफी तो सरकार की तरफ से हो संकती है या नहीं। यह मेरा आपसे स्थाल था।

प्रो॰ मधु तण्डवतेः इस स्कीम के मुताबिक जो कर्ज़ें दिए गए हैं वहां सूद माफ करने का कोई प्रावधान नहीं है। 25 प्रतिशत सब्सिडी का इंतज़ाम इसीलिए किया गया है कि अप्रत्यक्ष रूप से यह कर्ज़ा माफी ही है क्योंकि जितना लोन दिया है उसका 25 प्रतिशत सब्सिडी देकर माफ किया जाएगा।

SHRIMATI MIRA DAS: Sir, my question is not regarding Bihar. It is a general question and it arises in view of the fact that the Government has decided to waive the loan of a farmer up to Rs. 10,000/-. Is the Government also considering increasing the peicentage of subsidy in the loan, under the Self-Employment Scheme, given to the unemployed graduates and undergraduates?

प्रो॰ मधु दण्डवातेः सभापति जी, जहां तक मैंने यह योजना आपके सामने प्रस्तुत की है उसका खर्चा इतना बड़ा है कि 25 प्रतिशत से ज्यादा सब्सिडी देना लक्ष्मदायक नहीं होगा और आज की वित्त व्यवस्था मैं यह संभव भी नहीं होगा। लेकिन जहां तक कर्ज माफी का सवाल है, यह अलग है। हम उसको अलग उंग से अमल में लाने की कोशिश करेंगे लेकिन सब्सिडी 25 प्रतिशत से ज्यादा देना संभव नहीं है।

PROF. CHANDRESH P. THAKUR. Mr. Chairman, the Government is committed to promoting balanced development. In that context, how the financial institutions and banks propound their credit policy is a critical link. There is no denying the fact that the State of Bihar stands totally neglected on a calculated basis so far as banks and financial institutions are concerned. I would like to ask the hon. Minister a simple question. Firstly, is the Minister satisfied on the credit-deposit ratio so far as Bihar is concerned in relation to the national average? Secondly, is he satisfied on the extent of lending by financial institutions for projects in Bihar and particularly to enterpreneurs in Bihar?

PROF. MADHU DANDAVATE: Sir

this question is not related to the original question. Since you have allowed the question, I may be permitted to reply to it. Sir, as far as credit-deposit ratio is concerned, we want that at the national ratio, credit-deposit ratio should actually reach 16 per cent. I must concede that in some of the areas including Bihar we are not satisfied with the present progress. We have already instructed all the banks concerned to keep our target in mind and try to achieve the national target of 16 per cent. This is about the credit-deposit ratio.

As far as the second problem regarding the financial institutions is concerned, we are trying to evolve certain norms and ensure their implementation so that the imbalance that may develop in lending and credit institutions may be eliminated. We will try to eliminate the imbalance as much as possible". We are not very much satisfied about the present state of affairs.

KUMARI CHANDRIKA KENIA: Sir, it is common knowledge that the laudable objective of providing self-employment by disbursing funds to the tune of Rs. 5000/- to Rs. 30000/- by the banks is defeated when the forums which have been entrusted with this task of disbursing the funds siphon off the money. It has been brought to the notice of many of us that there are irregularities, misuse and misappropriation of the funds by the Cells operating from the Bombay Regional Congress Committee. Many complaints have been made that the funds collected in the name of unemployed youth have been pocketed by the organisers disbursing the funds. Will the hon. Minister look into these complaints and find out whether these allegations are baseless or whether there is any substance in these corruption charges?

PROF. MADHU DANDAVATE: Sir, the hon. Member has pointed out to certain irregularities and malpractices. I may inform her that I myself had raised certain questions on the same line when I was a Member of the Opposition. I can

assure her that I will look into my own complaints which I had earlier made. In addition to that, I will also look into her complaints. I may assure the hon. lady that she is in a happy company and I will see to it that all these complaints are properly looked into.

MR. CHAIRMAN: Both of you are in happy company.

SHRI N.K.P. SALVE: Sir, how does he imagine that the lady finds his company to be happy?

PROF. MADHU DANDAVATE: She is the daughter of my old verteran socialist colleague.

श्री राज मोहन गान्धी: सभापित महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहूंगा यह जो प्रश्न है बेरोजगार स्नातक और पूर्व स्नातकों के करे में है, इसलिये क्या माननीय वित्त मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि स्त्रम के अधिकार के बारे में जो राष्ट्रीय मोर्चे ने चचन दिया था उसको अमल करने के लिये, देश और प्रशासन को तैयार करने के लिये सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाये हैं?

प्रो॰ मधु दण्डवतेः मैंने जो टास्क फोर्स का जिक्र किया है फिर मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हं। उसमें जो विभिन्न श्रेणी के प्रतिनिधि हैं उनके पास यह डिटेल्ड इंस्ट्रक्तंस और सुचनायें दी गयी हैं और जिसनी कम्पलेट और जितनी शिकायतें लोन्स के बारे में हमारे पास आये, कहीं कम अगर कम्पलेट यह है कि दूसरे लोगों की तरफ से बैंक के पास यह 25 हजार रुपये का लोन लेने के लिये आते हैं और अप्रत्यक्ष तरीके से जिनके जरिये उनको लाया जाता है उन्हें कमीशन मिलता है और वास्तव में 25 हजार रुपये के कर्जे पर वे अपने हस्ताक्षर करते हैं, लेकिन कई मर्तबा उनको १५ हजार रुपये या 10 हजार रुपये की ग्रशि मिलती है। इसलिये इस प्रकार की शिकायतें जब हमारे पास प्रस्तुत की जाती हैं तो उनकी ठीक तरह से जांच करके जो प्रावधान हमारे कानून में हैं उसके मृताबिक पूरी राशि कर्ज पाने वाले युक्कों के पास चली जाये इस प्रकार का इंतजाम करने की हम पूरी कोशिश करेंगे।

SHRI RAJ MOHAN GANDHI: Sir, my question was not about the repayment, of *mafi* of the *karzas*. My question was about the right to work.

यह बेरोजगारों का सवाल था इसलिए मैंने पात था

काम के अधिकार के बारे में। हम सब यह मानते हैं कि काम का अधिकार एक दिन में नहीं लाया जा सकता लेकिन हमने इस बात का वादा किया है तो देश को और प्रशासन को इसके लिए तैयार करने के लिए सरकार ने कीन-कीन से कदम उठाये हैं? (क्याकारान)

माननीय सदस्यः देश तैयार है।

प्रो॰ मधु वण्डवतेः हम भी तैयार है। सवाल आप से नहीं पूछा, दुर्भाग्य से मुझ से पूछा इसलिए मुझे जवाब देने दीजिए। सभापति जो, उन्होंने जो सवाल दोहरायां है उस सिलसिले में मैं बताना चाहता हूं कि इसी सदन में मैं पहले भी बता चुका हूं कि एइट टु वर्क मौलिक अधिकार बनने के बाद एक जिस्टिसेबल एइट बनता है। जिसे काम नहीं दे सकता है अगर वह कोर्ट में चला जाए तो कोर्ट आदेश दे सकता है कि उन्हें काम दीजिए और नहीं तो उन्हें एम्पलायमेंट एलाउंस दीजिए। यह ध्यान में रखकर संविधान में सबदीली बजने के पहले रोजगार बढ़ाने के काम में हम लगे हुए हैं। हम लोगों ने प्रथम कदम यह उठाया है कि देहाती इलाकों में लोगों को रोजगार देने के काम में ज्यादा अवसर दें। (व्यवधान) सुनने के बाद दूसरा प्रश्न पृष्टिये। मैं झट जवाब दुंगा।

मेरा सुझाव प्रावधान करने वाले पर है। जब मैं सवाल का जवाब दूं और अगर सदस्य उससे सन्तुष्ट नहीं है तो पुरक प्रश्न पृष्ठें में पुरक उत्तर दूंगा।

श्री सभापति: अभी तो आपका जवाब हो गया?

प्रो॰ मधु दण्डकते: मैं यह बता रहा हूं कि श्रामीण क्षेत्र में जैसे महाराष्ट्र में एम्पलायमेंट गारण्टी स्कीम है इसी प्रकार एक्सपेंडिड एम्पलायमेंट गारण्टी स्कीम जिन क्षेत्रों में गरीबी ज्यादा है वहां पर कार्यान्वित करने के बाद हम रोजगार का पोटेंशियल बढ़ायेंगे। अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार के काम बढ़ायेंगे। यह होने के बाद राइंट द वर्क एक मौलिक अधिकार बन सकता है। इसकी तैयारी हमारी शुरू हो रही है।

to Questions

श्री सभापतिः सिर्फ बैकवर्ड एरिया में करेंगे या पूरे देश में करेंगे? महाराष्ट्र तो पिछड़ा हुआ नहीं है।

प्रो॰ मधु दण्डकतेः जैसा मैंने पहले बत्तस्य किसी न किसी क्षेत्र में शुरुआत करनी होगी। हम लोगों ने एलान किया है कि ड्राउट प्रोन एरियाज जहां गरीबी ज्यादा है ऐसे क्षेत्रों में एक्सपेंशन आफ स्कीम पहले शुरू करेंगे।

बीयर और विलायती शराब बनाने के लिए आशय पत्र प्रदान किया जाना

^{*}322. श्री अशोक नाथ वर्मा: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन कंपनियों/फर्मों/व्यक्तियों के नाम, क्या हैं जिन्हें उत्पादन की नयी क्षमता के सुजन हेतु ढील दिये जाने के बाद बीयर और विलायती शराब बनाने के लिए लगभग 2 वर्ष पूर्व आशय पत्र प्रदान किये गये थे, प्रत्येक कंपनी के लिए कितनी क्षमता मंजूर की गई है और किन-किन राज्यों में इस प्रकार के एकक लगाये जाने की संभावना है; और

(ख) उन कंपनियों/फर्मों/व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनके इसी प्रकार के प्रस्ताव सरकार की मंजूरी के लिए लिम्बत पड़े हुए हैं?

वस्त्र मंत्री साध में खादा प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री शस्त्र यादव): (क) और (ख) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है।

विवरण

रेशन आफ यू॰ पी॰ लि॰

(ख) 30.4.1990 की विवित्त के अनुसार बीचर अध्यक्ष पोटेबल शराब के लिए लगभग २०५९ आवेदन लिमत है। क्योंकि ऐसी सूचना इकट्टी करने में कुछ और समय लगेगा अतः लिमत आवेदनों की सुची इकट्टी की जायेगी और सम्बा पटल पर रख दी आयेगी।

अनुबंध

क्रम सं॰ अम मद स्थापन स्थल

1. उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलप- पेटेबल आई॰ एम॰ एफ॰ एल॰ उत्तर प्रदेश
मेंट कारपोरेशन लि॰ प्रेड से पेटेबल शराब

2. प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एंड इनवेस्टमेंट कारपो- पेटेबल शराब उत्तर प्रदेश

⁽क) एक सूची अनुबंध में संलग्न हैं। (जीने देखिए)